“छः मूलाधार”

की व्याख्या

लेखकः

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब बिन सुलैमान तमीमी

व्याख्याताः

हैसम बिन मुहम्मद सरहान

पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान मस्जिद -ए- नबवी व महा प्रबंधक “अल-मअहद अल-सुन्नह”

https://www.alsarhaan.com

अल्लाह तआला उनकी, उनके माता-पिता तथा जिन लोगों ने किताब के प्रकाशन एवं वितरण में सहायता की है सभों को क्षमा करे

हिंदी अनुवादः

साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर्रहमान

الطَّبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظةٌ

إلَّا من أراد طبعه أو ترجمته لتوزيعه مجَّانًا بعد مراجعة المؤلِّف

الرَّجاء التَّواصل على:

islamtorrent@gmail.com

فسح وزارة الإعلام

आमुख

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ﷺ، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾[آل عمران]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ١﴾[النِّساء]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلًا سَدِيدًا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾[الأحزاب].

ज्ञान अर्जित करने वाले छात्रों को शरीअत द्वारा लाए गए नियमों एवं सिद्धांतों को समझने एवं कंठस्थ करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और इस विषय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संक्षिप्त पुस्तिकाओं में से एक शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब बिन सुलैमान अल-तमीमी रहिमहुल्लाह (मृत्युः 1206 हिज्री) की एक मूल्यवान पुस्तिका है। जिसका नाम उन्होंने "अल-उसूल अल-सित्तह (छः मूलाधार)" रखा है। यह ऐसी बहुमूल्य पुस्तिका है जिसके पठन-पाठन का धार्मिक विद्वानों ने बड़ा ध्यान रखा है। लेखक रहिमहुल्लाह ने इस पुस्तिका में उन छह सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया है जिनको सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट एवं विशद रूप में निर्धारित किया है परंतु इसके बावजूद बहुतेरे लोगों ने इसमें गलती की तथा सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने जिसको शरीअत (धार्मिक विधान) करार दिया है उससे विमुख हो गए। इस पुस्तिका को सरल सहज बनाने हेतु हमने तालिका एवं सारणी के रूप में इसकी व्याखा की है, तथा इसकी व्याखा के लिए शैख़ मुहम्मद बिन सालिह उसैमीन रहिमहुल्लाह (मृत्युः 1421 हिज्री) की शर्ह (व्याख्या) पर हमने भरोसा किया है, किंतु कुछ स्थानों पर जहाँ आवश्यकता थी हमने अपनी ओर से कुछ वृद्धि भी की है।

अल्लाह तआला से हम प्रार्थना करते हैं कि वह इस कृति एवं कार्य को निःकपट रूप से केवल अपनी प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर ले, तथा इस पुस्तिका के द्वारा लिखने वाले एवं पढ़ने वाले दोनों को लाभ पहुँचाए।

وصلَّى الله وسلَّم على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، والحمد لله ربِّ العالمين.

पुस्तिका की प्रस्तावना

लेखक रहि़महुल्लाह कहते हैं:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक तथा महानतम प्रतीक जो सर्वशक्तिशाली अल्लाह की शक्ति को दर्शाते हैं। वो छह सिद्धांत हैं जिनको अल्लाह तआला ने स्पष्ट एवं अगोपन रूप से आम जनता के लिए इस प्रकार से बयान कर दिया है कि जो किसी कल्पनाशील की कल्पना से भी बढ़ कर है।

किंतु, इसके बाद भी, कुछ को छोड़ कर मानव जाती के अधिकांश बुद्धिजीवी एवं चतुर लोगों ने उन्हें समझने में गलती की।

छः मूलाधार का सारांश

प्रथम मूलः इख़्लास़ (निष्ठा) एवं उसके विपरीत चीज़ जो कि शिर्क है, उसका बयान।	**द्वितीय मूलः** धर्म के मामले में एकजुट रहना तथा इसके विषय में मतभेद नहीं करना।
तृतीय मूलः मुस्लिम शासकों की बात सुनना एवं मानना, तथा इसके विपरीत चीज़ यानी इसके विरुद्ध कार्यों अर्थातः विद्रोह एवं अवज्ञा से बचना।	**चतुर्थ मूलः** ज्ञान एवं ज्ञानियों और फ़िक़्ह एवं फ़ुक़हा (धर्म शास्त्र एवं धर्म शास्त्रियों) का उल्लेख, और इसके विपरीत अर्थातः उन जैसा नहीं होने पर अपने आपको उनके जैसा प्रकट नहीं करना।
पंचम मूलः इस बात का उल्लेख कि अल्लाह के मित्र कौन हैं तथा इसके विपरीत शैतान के मित्र कौन हैं।	**षष्ठ मूलः** क़ुरआन एवं ह़दीस़ से मार्गदर्शन प्राप्त करना तथा इसके विपरीत चीज़ अर्थात क़ुरआन एवं ह़दीस़ को छोड़ने से बचना।

हम उस़ूल -ए- सित्तह (छः मूलाधार) का पाठ क्यों करें ?

[1] क्योंकि उलेमा ने इसके पठन की नसीहत की है।	[2] इस्लाम के मूलाधार के ज्ञान, उनकी आस्था रखने एवं उनके अनुसार कर्म करने हेतु।

लेखक रह़िमहुल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम के द्वारा पुस्तिका का आरंभ किया है, जोकि आम उलमा का तरीका रहा है, तथा ऐसा होता है:

[1] सम्माननीय क़ुरआन तथा नबियों एवं रसूलों (दूतों) अलैहिमुस्सलाम का अनुसरण करते हुए।	[2] इस ह़दीस़ के आधार पर "**प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य**..." यद्यपि यह ह़दीस़ ज़ईफ़ है।	[3] अपने सलफ (नेक पूर्वज) एवं उलमा (बुद्धिजीवियों) का अनुकरण करते हुए।	[4] सर्वोच्च अल्लाह के पवित्र नाम से बरकत एवं कल्याण प्राप्त करने के लिए।

बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम का अर्थ

[1] (**बिस्मिल्लाह**): अर्थातः (मैं अल्लाह के नाम से लिखता हूँ) अल्लाह के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख बरकत (आशीर्वाद) प्राप्त करने एवं एक सीमित तथा विशेष अर्थ देने के रूप में हुआ है।	[2] (**अल्लाह**): लफ़्ज़ -ए- जलालह (महिमा को दर्शाने वाला शब्द), सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान उत्पत्तिकार का नाम है, तथा यह ऐसा नाम है जिसका सभी नाम अनुसरण करते हैं।।	[3] (**अर्रह़मान**): जो ऐसी आम व व्यापक दया की विशेषता से विशेषित है जो समस्त सृष्टि को सम्मिलित है।	[3] (**अर्रह़ीम**): अनवरत जारी रहने वाली दया का स्वामी, जो अपनी दया को अपने भक्तों में से जिस तक चाहता है पहुँचाता है।

क्या "छः मूलाधार" से लेखक महोदय का अभिप्राय यह है कि मूलाधार केवल छः ही हैं?

नियम यह है कि यदि क़ुरआन या ह़दीस़ में अथवा विद्वानों के शब्दों में संख्या का उल्लेख किया गया होः

[1] तथा क़ुरआन एवं ह़दीस़ के नुस़ूस़ (श्लोक, छंद) में हम ऐसी कोई चीज़ नहीं पाते हैं जो इस संख्या में वृद्धि करती हो तो इस संख्या का अपना एक विशेष अर्थ होगा, अर्थातः उस संख्या पर वृद्धि नहीं की जायेगी, उदाहरणतः इस्लाम के अरकान (स्तंभ), ईमान के अरकान जैसाकि जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली ह़दीस़ में वर्णित है।	[2] किंतु यदि क़ुरआन एवं ह़दीस़ के नुस़ूस़ में हम ऐसी कोई चीज़ पाते हैं जो इस संख्या में वृद्धि करती हो तो उस संख्या का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जायेगा, अर्थातः क़ुरआन एवं ह़दीस़ में वर्णित चीज़ों के आधार पर उसमें वृद्धि की जायेगी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथनः "**पाँच चीज़ें फ़ित़रत (-ए- इस्लाम) में से हैं**...", इसी प्रकार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथनः "**सात विनाशकारी चीज़ों से बचो**..."।

कभी-कभी संख्या का उल्लेख क्यों किया जाता है जबकि उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता?

यह उत्तम ढ़ंग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा शिक्षा देने का प्रमाण है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चाहते थे कि श्रोता इस सभा में कही गई बातों को अच्छे ढ़ंग से समझ लें एवं कंठस्थ कर लें, ताकि एक अंतराल के बाद भी इन मसलों को पुनः मस्तिष्क में लाना आसान हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथनः "**मैं तीन बातों पर क़सम खाता हूँ, तथा मैं तुम लोगों से एक ह़दीस़ बयान कर रहा हूँ जिसे याद रखोः किसी बंदे के धन में स़दक़ा (दान) देने के कारण कोई कमी नहीं आती है**"। इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। तथा इसी मार्ग पर लेखक रह़िमहुल्लाह चले हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बातें :

[1] क्या सलफ़ द्वारा सर्वसम्मति से इन छह सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की गई है?

हाँ, और इसका प्रमाण क़ुरआन, ह़दीस़, स़ह़ाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के कथन, तथा नेक पूर्वजों (सलफ़) एवं इमामों के कथनों में मोजूद है।

[2] अल-उस़ूल अल-सित्तह (छः मूलाधार) के विषय में सर्वप्रथम किसने लिखा?

अक़ीदा के विषय में लिखी गई सभी किताबों में इन मूलाधारों का उल्लेख मिलेगा, किंतु एक विशेष एवं निश्चित पुस्तिका में इसका संग्रहन इमाम मुह़म्मद बिन अब्दलु वहाहब रह़िमहुल्लाह ने ही किया है।

[3] अल-उस़ूल अल-सित्तह (छः मूलाधार) को हम कैसे कंठस्थ करें एवं समझें?

प्रत्येक मूलाधार तथा उसके विरुद्ध चीज़ का ज्ञान अर्जित कर के।

क्या "उस़ूल अल-सुन्नत", "अल-अक़ीदा", "अल-सुन्नत" एवं "अल-उस़ूल अल-सित्तह" के नाम से लिखी गई पुस्तकों का विषय वस्तु एक ही है अथवा सभी अलग-अलग विषय से संबंधित पुस्तकें हैं?

ये सभी एक ही विषय वस्तु से संबंधित पुस्तकें हैं, किंतु उलमा एवं विद्वान लोग पुस्तकों के शीर्षकों के बीच विविधता लाते हैं ताकि छात्र ऊब न जाएं, या फिर अधिक स्पष्ट रूप से बयान करने के लिए अथवा स्थिति और आवश्यकता को देखते हुए भिन्न-भिन्न नाम रखते हैं।

अतः कभी पुस्तक का शीर्षक "उस़ूल अल-सुन्नह" होता है जैसे इमाम अह़मद की "उस़ूल अल-सुन्नह" अथवा कभी इसका नाम "अल-अक़ीदा" होता है जैसे शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह की "अल-अक़ीदह अल-वास़तिय्यह" तो कभी "अल-सुन्नह" जैसे ख़ल्लाल की "अल-सुन्नह" या कभी "अल-ईमान" जैसे इब्ने अबी शैबा की "अल-ईमान" तो कभी इसका नाम "अल-तौह़ीद" होता है जैसे इब्ने ख़ुज़ैमह की "अल-तौह़ीद" तो कभी "अल-उस़ूल अल-सित्तह" जेसे इमाम मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब की "अल-उस़ूल अल-सित्तह", रहिमहुमुल्लाह।

प्रथम मूलाधार

लेखक रहिमहुल्लाह कहते हैं:

केवल एक व अद्वैत अल्लाह के लिए जिसका कोई साझी नहीं धर्म को ख़ालिस़ व निश्छल रखना तथा उसके विपरीत चीज़ जोकि अल्लाह के साथ शिर्क (बहुदेववाद) है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना, तथा पवित्र क़ुरआन के अधिकांश हिस्सों का इस मुख्य बिंदु को विभिन्न पहलुओं से इस तरह से समझाना कि एक आम आदमी जिसे कम समझ हो वह भी इसे समझ जाए।

किंतु जब इस उम्मत के अधिकांश लोगों की हालत बदली, तो शैतान ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि निश्छल तौहीद नेक एवं सदाचारी लोगों के सम्मान का उल्लंघन तथा उनके विषय में कोताही का नाम है, जबकि शिर्क को उनके मध्य बुज़ुर्गों से प्रेम एवं उनका अनुसरण के नाम पर प्रचलित किया।

अल्लाह के लिए इख़्लास़:

(यह है कि: व्यक्ति अपनी इबादत तथा पूजा के द्वारा सर्वशक्तिमान अल्लाह के करीब आने और उसके द्वारा तैयार सम्माननीय स्थान तक पहुंचने का इरादा रखे), और इसमें शामिल हैं:

[1] अपने इरादा व उद्देश्य में सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रति मुख़लिस़ अर्थात वफादार रहना।	[2] सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रेम में उसके प्रति मुख़्लिस़ अर्थात निष्ठावान रहना।	[3] सर्वशक्तिमान अल्लाह का सम्मान करने में उसके प्रति निष्ठावान रहना।	[2] बाहरी एवं आंतरिक रूप से सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रति वफादार रहना।	[2] अपनी इबादत के द्वारा केवल सर्वशक्तिमान अल्लाह की प्रसन्नता ही चाहना तथा उसके द्वारा तैयार सम्माननीय स्थान तक पहुंचने का इरादा रखना।

क़ुरआन में इख़्लास़ के संबंध में वर्णित कुछ आयतें (श्लोक):

[1] ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ (आप कह दें कि निश्चय मेरी नमाज़ और मेरी क़ुर्बानी तथा मेरा जीवन-मरण संसार के पालनहार अल्लाह के लिए है)। सूरह अनआम: 162।

[2] ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ (उन्हें केवल यही आदेश दिया गया था कि वे धर्म को शुद्ध कर रखें और सब को तज कर केवल अल्लाह की उपासना करें)। सूरह बय्यिनह: 5।

[3] ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ (और नहीं भेजा हमने आप से पहले कोई भी रसूल परंतु उस की ओर यही वह्य (प्रकाशना) करते रहे कि मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है, अत: मेरी ही इबादत करो)। सूरह अंबिया: 25।

ह़दीस़ में इख़्लास़ के संबंध में वर्णित कुछ तर्क:

[1] एक व्यक्ति ने कहा: जो अल्लाह चाहे तथा आप चाहें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**क्या तुमने मुझे अल्लाह का साझीदार बन दिया, बल्कि जो अकेले अल्लाह चाहे**", इसे अह़मद ने रिवायत किया है।

[2] नबी का कथन: "**जिसने ग़ैरुल्लाह की क़सम खाई उसने कुफ्र अथवा शिर्क किया**"। इसे अह़मद, अबू दावूद एवं तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

[3] "**हे लोगो! तुम वही बातें करो जो तुम करते हो, शैतान कहीं तुम्हें बहका न दे, मैं मुह़म्मद (ﷺ) अल्लाह का बंदा (भक्त) तथा रसूल (संदेशवाहक) हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे उस पद से ऊँचा उठाओ जिस पर अल्लाह तआला ने मुझे रखा है**"। इसे अह़मद ने रिवायत किया है।

इख़्लास़ के विपरीत शिर्क है:

[1] अल्लाह का कथन है:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

(निःसंदेह अल्लाह यह नहीं क्षमा करेगा कि उस का साक्षी बनाया जाये और उसके सिवा जिसे चाहेगा क्षमा कर देगा)। निसा: 48।

[2] अल्लाह का कथन है:

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴾ (निश्चय ही हम ने प्रत्येक समुदाय में दूत भेजा कि अल्लाह की इबादत (उपासना) करो और अवज्ञा कारी से बचो)। नह़्ल: 36।

[3] नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो अल्लाह से इस स्थिति में भेंट करेगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को साझीदार नहीं बनाया होगा तो वह जन्नत में प्रवेश पायेगा, तथा जो इस स्थिति में भेंट करेगा कि उसके साथ किसी को साझीदार बनाया होगा तो वह जहन्नम में प्रवेश पायेगा"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

शिर्क के दो प्रकार हैं:

[1] शिर्क -ए- अकबर जो मिल्लत -ए- इस्लाम से निष्कासित कर देता है: तथा यह: (हर वह शिर्क है जिसको शारेअ (**अल्लाह अथवा उसके रसूल) ने शिर्क कहा हो, और वह पूर्णत: तौह़ीद के विरुद्ध हो**)। उदाहरण: कोई व्यक्ति क़ब्र वाले से दुआ करे, अथवा किसी ऐसी समस्या को हल करने के लिए अनुपस्थित से दुआ करे जिसे केवल उपस्थित ही हल कर सकता है।

[2] शिर्क -ए- अस़्ग़र जो जो मिल्लत -ए- इस्लाम से निष्कासित नहीं करता है: तथा यह: (**हर वह कर्म अथवा कथन से संबंधित कृत्य है जिसको शारेअ ने शिर्क तो कहा हो परंतु यह तौह़ीद के पूर्णत: विरुद्ध नहीं हो**)। उदाहरण: ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना, तथा रियाकारी (दिखावा, पाखण्ड) की थोड़ी सी मात्रा।

मुह़र्रमात (वर्जनाओं) की श्रेणियाँ:

[1] शिर्क -ए- अकबर।	[2] शिर्क -ए- अस़्ग़र।	[3] कबीरा गुनाह।	[4] सग़ीरा गुनाह।

शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र के मध्य अंतर:

[1] **शिर्क -ए- अकबर**	[2] **शिर्क -ए- अस़ग़र**
❁ इस्लामिक सीमा से बाहर कर देता है।	❁ इस्लामिक सीमा से बाहर नहीं करता है।
❁ सारे आमाल को बर्बाद कर देता है।	❁ कुछ विशेष आमाल (कर्मों) को बर्बाद करता है।
❁ सदा के लिए अनंत काल तक जहन्नम में रहने का कारण है।	❁ सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण नहीं बनता है।
❁ जान व माल को ह़लाल कर देता है, बशर्ते कि उसका कार्यान्वयन मुस्लिम शासक की ओर से हो।	❁ जान व माल को ह़लाल नहीं करता है।
❁ यदि इसी स्थिति में मृत्यु हो जाये तो उसे कभी क्षमा नहीं किया जायेगा।	❁ ऐसी चीज़ को सबब और कारण बनाए जिसको अल्लाह ने सबब और कारण नहीं बनाया है।
❁ इसको शरीअत में शिर्क –ए- अकबर कहा गया हो।	❁ यदि उसकी मृत्यु इसी स्थिति में हुई हो तो उसकी माफ़ी में मतभेद है।
❁ यह आस्था रखे कि अल्लाह के सिवा अन्य (ग़ैरुल्लाह) को गुप्त रूप से इस ब्रह्माण्ड में हेर-फेर करने का अधिकार प्राप्त है, तथा लाभ पहुँचाना एवं हानि दूर करना उसके हाथ में है।	❁ इसको शरीअत में शिर्क -ए- अस़ग़र कहा गया हो।
	❁ प्रत्येक वह चीज जो शिर्क -ए- अकबर तक पहुँचने का कारण बने तो वह शिर्क -ए- अस़ग़र है।
	❁ शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में जिसे शिर्क अथवा कुफ़्र कहा गया हो परतुं उस पर अल (أل) दाखिल न हो।

शिर्क से भय खाना:

शिर्क अत्यंत गोपनीय चीज है, तथा अल्लाह के मित्र एवं एकेश्वरवादियों के इमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे भयभीत रहते थे, जैसाकि अल्लाह ने उनके संबंध में कहा है: ﴿وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ﴾ (मुझे तथा मेरे पुत्रों को मूर्ति पूजा से बचा ले)। इब्राहीमः 35। तथा इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि: "मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तीस स़हाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को पाया है, वे सभी अपने ऊपर निफ़ाक़ (पाखण्ड) का भय खाते थे", अतः निफ़ाक़ से केवल मुनाफ़िक़ ही निश्चिंत हो सकता है, तथा निफ़ाक़ का भय केवल मोमिन को ही होता है, और शिर्क से भय खाना निम्नांकित चीज़ों के द्वारा हो सकता है:

[1] तौह़ीद (एकेश्वरवाद) को सीखना, उस पर अमल करना, उसकी और दावत देना तथा उस पर स़ब्र करना।	[2] शिर्क अर्थात बहुदेववाद का अध्ययन करना, इसके कारणों और प्रेरकों को जानना, तकि उससे बचा जाये।	[3] अल्लाह तआला से दुआ करना एवं उसकी सहायता माँगना।	[4] शिर्क एवं मुश्रिकीन से अलगाव अपनाना तथा उनसे दूर रहना, ताकि उन्हीं में से न हो जाये।

द्वितीय मूलाधार

लेखक रहिमहुल्लाह कहते हैं:

अल्लाह ने धर्म के मामले में एकता और सहमति बनाए रखने का आदेश दिया है तथा इस के मामले में मतभेद, कलह एवं अराजकता का शिकार होने से मना किया है।

अतः अल्लाह तआला ने इस बुनियादी बात को इतने स्पष्ट तरीके से समझाया है कि आम आदमी भी इसे अच्छी तरह समझ सकता है। और हमें अगले समुदायों के उन लोगों की तरह बनने से रोका है, जिनका नाश मतभेद, कलह एवं अराजकता के कारण हुआ। साथ ही, अल्लाह ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसने रसूलों (ईश दूतों) को धर्म में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने का आदेश दिया तथा उन्हें विभाजन एवं मतभेद से मना किया।

इस संबंध में ह़दीस़ में जिन आश्चर्यजनक बातों का उल्लेख किया गया है, वो इसे और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं।

फिर स्थिति ऐसी हो गई कि धर्म के सिद्धांतों एवं उनकी शाखाओं में विभाजन को ही विद्या और न्यायशास्त्र का गहन ज्ञान माना जाने लगा और हालत इतनी बिगड़ गई कि जो धर्म में एकता की बात करता उसे विधर्मी और पागल कहा जाने लगा।

क़ुरआन में एकता बनाए रखने के संबंध में वर्णित कुछ आदेश:

[1] ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ﴾ (तथा अल्लाह की रस्सी को सब मिल कर दृढ़ता के साथ पकड़ लो और विभेद में न पड़ो, तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे, तो तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम उसके पुरस्कार के कारण भाई-भाई हो गये, तथा तुम अग्नि के गड्ढे के किनारे थे तो तुम्हें उस से निकाल दिया)। सूरह आले इमरानः 103।

[2] ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥﴾ (तुम उनके समान न हो जाओ जो खुली निशानियाँ आने के पश्चात विभेद तथा आपसी विरोध में पड़ गए, और उन्हीं के लिए घोर यातना है)। सूरह आले इमरानः 105।

[3] ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ﴾ (जिन लोगों ने अपने धर्म में विभेद किया तथा कई समुदाय हो गये, (हे नबी!) आप का उनसे कोई संबंध नहीं)। सूरह अनआमः 159।

[4] ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ﴾ (आपस में विवाद न करो अन्यथा तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी)। सूरह अन्फ़ालः 46।

ह़दीस़ में एकता बनाए रखने के संबंध में वर्णित कुछ आदेश:

[1] "**मुसलमान, मुसलमान का भाई है, वह न तो उस पर अत्याचार करता है, न उसे असहाय छोड़ता है एवं न ही उसको हेय दृष्टि से देखता है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है** -तथा आपने अपने सीने की ओर इशारा किया- **किसी व्यक्ति के बुरा होने के लिये यही पर्याप्त है कि वह अपने भाई को तुच्छ समझे, प्रत्येक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए उसका रक्त, उसकी प्रतिष्ठा एवं सम्पत्ति सब ह़राम (वर्जित) हैं**"। मुत्तफ़क़ अलैह (बुख़ारी व मुस्लिम)।

[2] "**एक दूसरे से द्वेष न रखो, बैर न रखो, जासूसी न करो, टोह में न पड़ो, धोखे से (सामान का) मूल्य न बढ़ाओ, तथा अल्लाह के बन्दे बन जाओ जो आपस में भाई-बंधु होते हों**"। मुत्तफ़क़ अलैह।

[2] "**एक मोमिन (आस्तिक) दूसरे मोमिन के लिए भवन के समान होता है कि एक को दूसरे से शक्ति प्राप्त होती है**"। मुत्तफ़क़ अलैह।

इसके विपरीत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, उन सभी चीजों से रोका है जो मुसलमानों के मध्य क्लेश एवं अलगाव का कारण बने, तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने शब्दों और कार्यों के द्वारा एक दूसरे से सद्भाव रखने एवं प्रेम करने को प्रेरित किया है।

स़ह़ाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल:

स़ह़ाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बीच मतभेद तो हुआ, किंतु इसका परिणाम विभाजन, शत्रुता या घृणा के रूप में फलित नहीं हुआ।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में उनके मतभेद का एक उदाहरण वह घटना है जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अह़ज़ाब युद्ध के पश्चात जब फ़रमाया कि: "**समस्त मुसलमान अस़्र की नमाज़ बनू क़ुरैज़ा तक पहुँचने के बाद ही अदा करें**" (मुत्तफ़क़ अलैह)। किंतु जब (मार्ग में ही) नमाज़ का समय निकल जाने का भय उन्हें सताने लगा तो कुछ लोगों ने कहा: हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन का अक्षरशः पालन करेंगे, तथा दूसरे लोगों ने कहा कि: हम यहीं नमाज़ पढ़ लेंगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन का अभिप्राय यह था कि हम जल्दी वहाँ पहुँचे, और किसी ने किसी को बुरा भला नहीं कहा।

सलफ़ रहिमहुमुल्लाह का अमल:

विवादास्पद मुद्दों के संबंध में अहले सुन्नत वल जमात के सिद्धांतों में से एक यह है कि इज्तिहाद के आधार पर जो मतभेद हो और जिस मसले में इज्तिहाद करना उचित हो (अर्थात इज्तिहाद की संभावना हो), ऐसे मसलों के कारण होने वाले मतभेदों में लोग एक दूसरे को क्षमा करेंगे, तथा इसके कारण वे एक-दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे।

इस्लामी शरीअत में एकता के उदाहरण:

हम इकट्ठे हो कर एक रब की इबादत करते हैं।	हम एक ही नबी का अनुसरण करते हैं।	हम एक ही शरीअत पर अमल करते हैं।	हमारा क़िब्ला एक ही है।	हमरा ख़लीफ़ा (मुस्लिम शासक) एक ही है।
हम फ़र्ज़ (अनिवार्य) नमाज़ के लिए हर मोहल्ले में पांच बार इकट्ठा होते हैं।	नगर के लोग प्रत्येक शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं।	हम हर ईद-उल-फित्र पर इकट्ठा होते हैं, यहां तक कि महिलाएं एवं बच्चे भी किंतु एक दूसरे से दूरी बनाते हुए।	विभिन्न देशों के लोग अरफ़ा के मैदान में एक साथ इकट्ठा होते हैं।	

टिप्पणी:

लोगों के मध्य प्रचलित ह़दीस़ "**मेरी उम्मत का मतभेद रह़मत (दया व आसानी का कारण) है**" प्रमाणित नहीं है, अतः इस ह़दीस़ को तर्क के रूप में पेश करना सही नहीं है, बल्कि मतभेद यदि रह़मत है तो फिर एकता क्या है?!

तृतीय मूलाधार

लेखक रहिमहुल्लाह कहते हैं:

पूर्ण सामूहिकता एवं अखंड एकता यह है कि हम अपने अमीर (शासक) की बात सुनें एवं उसके आदेशों का पालन करें, यद्यपि वह ह़बशी (काला) दास ही क्यों न हो। अतः अल्लाह तआला ने इसे शरई (वैधानिक) एवं क़दरी (मात्रात्मक) बयान के समस्त माध्यमों से स्पष्ट, पर्याप्त एवं संतोषजनक रूप से हमारे लिए बयान कर दिया है।

परंतु बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि ज्ञान का दावा करने वाले अधिकांश लोग इस मूल बिंदु से अवगत भी नहीं थे, उसका पालन किया जाना तो बड़ी दूर की कौड़ी है?!

वलिय्युल अम्र (मुस्लिम शासक) की बात सुनना एवं उसकी आज्ञाकारिता करना निम्न के द्वारा होगा:

[1] जिस चीज़ का वह आदेश दे उसका पालन करना।	[2] जिस चीज़ से वह रोके उससे रुक जाना।

क़ुरआन में मुस्लिम शासक के आज्ञापालन के अनिवार्य होने के संबंध में कुछ आयतें:

[1] ﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ﴾ (तथा अल्लाह की रस्सी को सब मिल कर दृढ़ता के साथ पकड़ लो और विभेद में न पड़ो)। सूरह आले इमरान: 103।	[2] ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ ﴾ (अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञाकारी रहो, तथा आपस में विवाद न करो अन्यथा तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी)। सूरह अन्फ़ाल: 46।	[3] ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴾ (हे ईमान वालो! अल्लाह की आज्ञा का अनुपालन करो, और रसूल का आज्ञा का अनुपालन करो तथा अपने शासकों का आज्ञापालन करो)। सूरह निसा: 59।

ह़दीस़ में मुस्लिम शासक के आज्ञापालन के अनिवार्य होने के संबंध में कुछ तर्क:

[1] "हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बैअत की कि हम प्रसन्नता व अप्रसन्नता, तंगी व उदारता एवं अपने अधिकार से वंचित किये जाने के बावजूद आज्ञापालन करेंगे तथा शासकों के संग शासन के विषय में झगड़ा नहीं करेंगे, आप ने फ़रमाया: सिवाय इसके कि तुम स्पष्ट रूप से उनको कुफ़्र करते देख लो जिसके विषय में तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रमाण हो"। मुत्तफ़क़ अलैह।	[2] "जो अपने अमीर (शासक) के अंदर कोई अप्रिय बात देखे तो स़ब्र करे, क्योंकि जिसने जमाअत को एक बालिश्त भी छोड़ा तथा उसी स्थिति में उसकी मृत्यु हुई तो वह जाहिलिय्यत की मौत मरा"। मुत्तफ़क़ अलैह।	[3] "जो कोई भी (शासक की) आज्ञाकारिता से अपना हाथ खींच ले तो वह अल्लाह से इस स्थिति में मिलेगा कि उसके पास कोई तर्क नहीं होगा"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

जो कोई भी पूरे इतिहास में उम्मत (मुस्लिम) की स्थिति को देखेगा तो वह पाएगा कि:

[1] जब तक वो अपने धर्म का पालन करते रहे, उस पर एकजुट रहे, अपने शासकों का आज्ञापालन करते रहे, भलाई के साथ उनकी बात मानते रहे, तो वो संसार में प्रभुत्वशाली हो कर एवं विजयी रूप में जिये।

[2] किंतु जब उनके अंदर बिगाड़ आया, उन्होंने अपने धर्म को बांट लिया, अपने शासकों के विरुद्ध उद्दंडता का प्रदर्शन किया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा उनसे लड़ाई लड़ी, वे छिन्न-भिन्न हो गये, तो उनके शत्रुओं के हृदय से उनका रोब व दबदबा खींच लिया गया, उन्होंने एक दूसरे से झगड़ा किया अतः वे कमज़ोर हो गये और उनकी हवा उखड़ गई, शत्रु उन पर टूट पड़े, तथा उनकी हैसियत धारा में बहने वाले कूड़े के समान हो गई।

शासक एवं जनता के रूप में हमारा दायित्व यह है कि:

कि हम वह करें जो सर्वोच्च अल्लाह ने हमारे ऊपर वाजिब एवं अनिवार्य किया है, जैसे: एक दूसरे से प्रेम करना, सदाचार एवं संयम में एक दूसरे से सहयोग करना, समूह के हित में लाभ के समय इकट्ठा होना, ह़क़ (सत्य) के आधार पर एकत्र होना तथा एक दूसरे की सहायता करना, हम अपने सभी कार्यों में मुख़्लिस़ (ईमानदार) रहें, तथा हम उस एक लक्ष्य को पाने का हरसंभव प्रयास करें जोकि इस उम्मत का धार्मिक एवं सांसारिक रूप से सुधार करना है, और यह उसी समय संभव है जब हम एकजुट रहें, तथा अपने आपसी विवादों और विरोधों को छोड़ दें।

वो चीज़ें जो आज्ञापालन करने एवं विरोध करने से बचाने में सहायक हैं:

۞ मुस्लिम शासकों एवं उलमा के लिए दुआ करना तथा उनसे प्रेम रखना। ۞ जन्नत केवल अल्लाह से ही माँगी जायेगी, इसी प्रकार से रिज़्क़ भी केवल अल्लाह से माँगा जायेगा, अल्लाह तआला का कथन है: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ (आप भरोसा कीजिये उस नित्य जीवी पर जो मरेगा नहीं)। सूरह फ़ुर्क़ान: 58। ۞ आदमी ऐसा न हो कि यदि उसे दिया जाये तो प्रसन्न हो तथा यदि न दिया जाये तो क्रोधित हो जाये। ۞ यह दुआ करता रहे: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» (अल्लाहुम्मकफ़िनी बिह़लालिक्अ अन ह़रामिक्अ व अग़निनी बिफ़ज़्लिक्अ अम्मन सिवाक्अ) अनुवाद: (हे अल्लाह! अपने ह़लाल (वैध) के द्वारा तू मुझे अपने ह़राम (अवैध) से काफी हो जा, तथा अपने अनुग्रह व फ़ज़्ल से तू मुझे अपने सिवा किसी अन्य से बेनियाज़ व निःस्पृह कर दे)।۞ केवल अकेले अल्लाह से आशा व संबंध रखे तथा शासक, उलमा, मंत्रियों एवं धनावानों से कोई आशा न रखे। ۞ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है:"**कोई मोमिन पुरुष किसी मोमिन महिला से घृणा न करे**"। सअदी रह़िमहुल्लाह कहते हैं कि: (यही आदेश शासकों के संबंध में भी लागू होता है)। ۞ हमारी दावत (आह्वान) सुधारवादी दावत हो, जिसका संबंध व्यक्ति और समाज में सुधार से हो। ۞ सलफ़ (सदाचारी पूर्वजों) की जीवनी पढ़ना तथा यह जानना कि शासकों के साथ उनका कैसा व्यवहार होता था। ۞ अत्यधिक खबरें नहीं देखना।

चतुर्थ मूलाधार

लेखक रहि़महुल्लाह कहते हैं:

विद्या एवं विद्वानों और धर्मशास्त्र एवं धर्मशास्त्री की पूरी व्याख्या तथा उन लोगों को भी चिह्नित करना जो उन जैसा दिखने का प्रयास करते हैं परंतु वास्तव में वैसे हैं नहीं।

अल्लाह सर्वशक्तिमान ने सूरह बक़रह के आरंभ में में इस मूल बात को समझाया है, जो इस आयत से प्रारंभ होता है: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ﴾ (हे बनी इस्राईल! मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया)। [आयतः 40] तथा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उल्लेख से पूर्व वाली इस आयत पर समाप्त होता है: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ (हे बनी इस्राईल!) [आयतः 122]।

इसका स्पष्टीकरण इस विषय में ह़दीसों में अत्यधिक मात्रा में वर्णित स्पष्ट व अगोपन बातों द्वारा होती है जो सामान्य तथा मामूली समझ वाले लोगों के लिए भी स्पष्ट हैं।

फिर यह सबसे विचित्र बात हो गई, तथा बिद्अत (नवाचार) एवं पथभ्रष्टता को ही फ़िक़्ह (न्यायशास्त्र) एवं ज्ञान माना जाने लगा, और उन (नवाचारियों) की सबसे बड़ी उपलब्धि सत्य और असत्य को मिलाना बन गई। तथा वह ज्ञान जिसे अल्लाह ने अपनी मख़लूक़ (सृष्टि, रचना) पर अनिवार्य किया है और जिसकी प्रशंसा की है उसके विषय में बात करने वाले लोग ज़िंदीक़ (अर्धमी) एवं पागल करार दिये जाने लगे। जबकि उसका खण्डन करने वाले, उनसे शत्रुता रखने वाले और लोगों को उससे रोकने एवं दूर रखने के लिए पुस्तकें लिखने वाले लोग ज्ञानी एवं विद्वान माने जाने लगे।

ज्ञान दो प्रकार के हैं:

[1] शरीअत का इल्म (ज्ञान) तथा जो इससे संबंधित है:	**[2] सांसारिक ज्ञान:**		
और यहः (**आयतों (निशानियों, स्पष्ट प्रमाणों) एवं मार्गदर्शन से संबंधित वह ज्ञान है जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है**)। और यह वह है जिसकी सामान्य रूप से प्रशंसा एवं स्तुति की गई है, और यही क़ुरआन तथा ह़दीस़ के संबोधन का आधार है।	जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग इत्यादि से संबंधित ज्ञान, तथा इसकी निम्न स्थितियां हैं:		
	[क] यदि यह अच्छाई का माध्यम हो तो अच्छा है।	[ख] यदि यह बुराई का माध्यम हो तो बुरा है।	[ग] यदि यह दोनों में से किसी का माध्यम न हो तो समय की बर्बादी एवं निरर्थक कार्य है।

ज्ञान की प्रशंसा में कही गई कुछ बातें:

अल्लाह तआला का कथन है: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ۝٩﴾ (आप कहें कि क्या समान हो जाएंगे जो ज्ञान रखते हों तथा जो ज्ञान नहीं रखते, वास्तव में मतिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं)। सूरह ज़ुमर: 9।

[1] नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: "**नबियों ने दिरहम और दीनार का उत्तराधिकारी नहीं बनाया, अपितु उन्होंने ज्ञान का उत्तराधिकारी बनाया है, जिसने इसे प्राप्त कर लिया उसने एक बड़ा भाग अर्जित कर लिया**"। इसे अहमद तथा कुछ "सुनन" वालों ने रिवायत किया है।

[3] नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: "**अल्लाह तआला जिसके संग भलाई करना चाहता है उसे धर्म की समझ प्रदान करता है**"। मुत्तफ़क़ अलैह।

ज्ञान की फ़ज़ीलत व प्रधानता:

[1] सर्वोच्च अल्लाह इस जगत में ज्ञानी लोगों को अपने दासों के मध्य उनके कार्यों के आधार पर उच्चता प्रदान करता है और परलोक में उनके पदों को स्वर्ग में ऊंचा करेगा।

[2] यह (ज्ञान) उन चीज़ों में से है जो मृत्यु पश्चात भी मानव के लिये बाकी रहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: "**जब बंदा मर जाता है तो उसके समस्त कर्मों का सिलसिला समाप्त हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के: सदका जारियह, या वह ज्ञान जिसका लाभ जारी रहे...**"।

[3] यह उन चीज़ों में से है जिसमें रश्क करने की अनुमति है: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: "**केवल दो चीज़ों में ही रशक करने की अनुमति है: एक वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने धन दिया हो तथा वह उसे सत्य मार्ग में ख़र्च करता हो, दूसरा वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने हिकमत (तत्वज्ञान) दिया हो तथा वह उसके द्वारा निर्णय करता हो और उसकी शिक्षा देता हो**"। मुत्तफ़क़ अलैह (बुख़ारी व मुस्लिम)।

[4] यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मीरास़ (उत्तराधिकार) है: "**बल्कि उन्हों (नबियों) ने ज्ञान का उत्तराधिकारी बनाया है**"।

[5] यह वह ज्योति है जिससे बंदा प्रकाश प्राप्त करता है, अतः उसे पता चलता है कि अपने पालनहार की वंदना कैसे करे, तथा दूसरों के संग कैसा व्यवहार करे।

[6] आलिम (ज्ञानी) वह प्रकाश पुंज है जिससे लोग अपने धार्मिक एवं सांसारिक मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।

हमारे ऊपर क्या अनिवार्य है:

हमारे ऊपर यह पता होना अनिवार्य है कि वास्तव में विद्वान कौन हैं। वे रब वाले विद्वान हैं जो लोगों को उनके रब की शरीअत (धार्मिक विधान) के अनुसार प्रशिक्षित करते हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण निशानियों में से कुछ ये हैं: क़ुरआन एवं ह़दीस़ से तर्क पेश करना, सलफ़ (सदाचारी पूर्वजों) के मार्ग का अनुसरण करना, ज्ञान के अनुसार कर्म करना, अधिकाधिक उपासना करना, दूसरे विद्वानों का उनके विद्वान होने की गवाही देना तथा उनका लोगों को शिर्क एवं बिद्अत से रोकना।

पंचम मूलाधार

लेखक महोदय कहते हैं:

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का अपने वलियों (मित्रों) का स्पष्टता से वर्णन करना। और उनके जैसा रूप धार कर सामने आने वाले उनके शत्रुओं, मुनाफ़िकों एवं पापियों एवं उन वलियों के मध्य अंतर को स्पष्ट करना।

इस विषय में सूरह आले इमरान की एक आयत पर्याप्त है, जोकि अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾ (हे नबी! आप कह दीजिये कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो अल्लाह तुम से प्रेम करेगा)। आयतः 31।

तथा सूरह माइदा की एक आयत जोकि अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾ (हे ईमान वालो! तुम में से जो अपने धर्म से फिर जायेगा, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिनसे वह प्रेम करेगा तथा वो उससे प्रेम करेंगे)। आयतः 54।

तथा सूरह यूनुस की एक आयत जोकि अल्लाह तआला का यह कथन है: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ (सुनो जो अल्लाह के मित्र हैं , न उन्हें कोई भय होगा और न वह उदासीन होंगे। जो ईमान लाए तथा अल्लाह से डरते रहे)। आयतः 62-63।

किंतु फिर ज्ञान का दावा करने वालों तथा लोगों के मार्गदर्शक और शरीअत के रक्षक होने का दावा करने वालों में से अधिकांश लोगों की स्थिति यह हो गई है कि उनके अनुसार वास्तविक वली (अल्लाह के मित्र) रसूलों का अनुसरण करने वाले नहीं अपितु उनके अनुसरण से मुख मोड़ने वाले समझे जाते हैं, उनके निकट वली बनने के लिए जिहाद छोड़ना अनिवार्य है, जिहाद करने वाला वली नहीं हो सकता। इतना ही नहीं बल्कि उनके निकट वली होने के लिए ईमान व तक़्वा से रहित होना भी आवश्यक है, ईमान एवं तक़्वा वाला (विश्वासी एवं धर्मपरायण) व्यक्ति वली नहीं बन सकता। हे हमारे पालनहार हम तुझ से दया एवं क्षमा के प्रार्थी हैं, निश्चय ही तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है।

हम अल्लाह के वली को कैसे पहचानेंगे?

ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनका तक़्वा अपनाते हैं तथा दृढ़ता के साथ दीन पर जमे रहते हैं, अल्लाह तआला का कथन है: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ (सुनो जो अल्लाह के मित्र हैं , न उन्हें कोई भय होगा और न वह उदासीन होंगे। जो ईमान लाए तथा अल्लाह से डरते रहे)। सूरह यूनुसः 62-63।

अपने मुँह से वली होने का दावा करने में आत्ममुग्धता का पहलू है, जोकि अल्लाह के तक़्वा के विरुद्ध है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾﴾ (अतः अपने में पवित्र न बनो, वही भली-भाँति जानता है उसे जिसने सदाचार किया है)। सूरह नज्मः 32।

लेखक रहिमहुल्लाह ने तीन आयतों का उल्लेख किया है:

[1] ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾[آل عمران: ٣١].

इस आयत को परीक्षा की आयत कहा जाता है। हसन बसरी रहिमहुल्लाह कहते हैं: "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में लोग कहा करते थे: हे अल्लाह के रसूल! हम अपने सर्वोच्च रब से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो अल्लाह तआला ने यह पसंद किया कि, उनके इस दावा के लिए कि वो रब से प्रेम करते हैं, एक प्रतीक बना दे, अतः अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किया"।

[2] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾[المائدة:٥٤].

अल्लाह तआला ने उन लोगों की निम्न विशेषताएं बयान की हैं:

[1] वे ईमान वालों के लिए कोमल होंगे, अतः वे उनसे न तो लड़ाई करेंगे, न उनके विरुद्ध खड़े होंगे और न ही उनको असहाय छोड़ेंगे।।

[2] वे काफ़िरों के लिए कठोर होंगे, अर्थातः वे उन पर प्रभुत्व पाने वाले उनसे शक्तिशाली होंगे।

[3] वे अल्लाह के धर्म की बुलंदी हेतु जिहाद करेंगे।

[4] वे अल्लाह के विषय में किसी निंदक की निंदा की परवाह नहीं करेंगे।

[3] ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾[يونس: ٦٢-٦٣].

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उल्लेख किया है उसके वली वे लोग है जिनके हृदय में ईमान है तथा जो अपने शारीरिक अंगों द्वारा तक़्वा अपनाते हैं।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं:

सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपनी पुस्तक एवं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत में स्पष्ट कर दिया किः लोगों में से कुछ अल्लाह के वली हैं, तथा कुछ शैतान के मित्र हैं, अतः रहमान के वली एवं शैतान के मित्रों के मध्य अंतर स्पष्ट है।

[1] अल्लाह के वली:

उनके संबंध में फ़रमायाः ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾[يونس]. (सुनो जो अल्लाह के मित्र हैं , न उन्हें कोई भय होगा और न वह उदासीन होंगे। जो ईमान लाए तथा अल्लाह से डरते रहे)। सूरह यूनुसः 62-63।

[2] शैतान के चेले:

उनके संबंध में फ़रमायाः ﴿إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ﴾ أي: الشَّيطانُ ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾﴾[النَّحل]. - (उसका वश) अर्थात शैतान का- (केवल उस पर चलता है जो उसे अपना संरक्षक बनाते हैं, तथा जो मुश्रिक (बहुदेववादी) हैं। सूरह नह्लः 100।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह रह़िमहुल्लाह कहते हैं:

अनेक धर्मज्ञों एवं विद्वानों ने कहा है कि: (यदि तुम किसी मनुष्य को आकाश में उड़ते हुए, और जल पर चलते हुए देखो, तो उसके बहकावे में न आना, जब तक कि (शरीअत के) आज्ञा और (शरीअत की) मनाही के समय उसकी स्थिति न देख लो)।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह के वली दो प्रकार के हैं:

[1] अग्रगामी निकटवर्ती।	[2] दाएं वाले मध्यवर्ती।

सर्वोच्च अल्लाह ने अपनी सम्माननीय पुस्तक में अनेक स्थानों पर इन दोनों प्रकार के वलियों का उल्लेख किया है, जैसे: सूरह वाक़िआ के आरंभ एवं अंत में, सूरह इंसान (दह्र) में, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन तथा सूरह फ़ातिर में।

जन्नत की विभिन्न श्रेणियां हैं तथा प्रत्येक श्रेणियों के मध्य बड़ा अंतर है, और अल्लाह के मोमिन मुत्तक़ी (विश्वासी धर्मपरायण) बंदे उन श्रेणियों में अपने ईमान एवं तक़्वा के अनुसार होंगे।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह के वलियों के संग लोगों की स्थितियां:

[1] अतिश्योक्ति करने वाले:	[2] कोताही करने वाले:	[3]मध्यवर्ती:
ये वो लोग हैं जो जब किसी के विषय में यह मान लें कि वह अल्लाह के वली हैं तो उसकी हर उस बात से सहमति जताते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसके दिल ने उसके रब के बारे में बताया है, तथा वह जो कुछ भी करें उसे बिना विरोध के पूर्णरूपेण मान लेते हैं।	ये वो लोग हैं जो जब किसी को कुछ ऐसा कहते या करते हुए देखते हैं जो शरीअत के अनुसार नहीं है: तो उसे पूर्णतः अल्लाह की विलायत (मित्रता, संरक्षकता) से हटा देते हैं, चाहे वह उनका इज्तेहाद ही क्यों न हो जिसमें उनसे गलती हुई हो।	ये वो लोग हैं जो किसी को मासूम (पापों से पाक) नहीं समझते हैं, तथा न ही यदि किसी मुज्तहिद से गलती हो जाये तो उसे पापी समझते हैं, अतः वे न तो उसकी हर बात का अंध अनुसरण करते हैं और न ही उनके इज्तेहाद के कारण उस पर कुफ़्र अथवा फ़िस्क़ का हुक्म लगाते हैं।

अल्लाह के वलियों के करामात (चमत्कार):

[1] प्रमाणित:
उनके हाथों करामात (चमत्कार) होते हैं जिनके द्वारा वास्तव में अल्लाह अपने मुत्तक़ी (धर्मपरायण) वलियों को सम्मानित करता है, तथा अल्लाह के चयनित वलियों के हाथों करामात इसलिये प्रकट होते हैं ताकि धर्म को प्रभुत्व प्राप्त हो या यह उस समय होते हैं जब मुसलमानों को इसकी आवश्यकता हो।

[2] रसूल के लिए निशानी:
यह अल्लाह के रसूल का अनुसरण करने के आशीर्वाद स्वरूप घटित होता है, अतः वास्तव में यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आयात (निशानियों) में शामिल है।

[3] जिसके लिए वली होना आवश्यक नहीं है:
करामात कभी मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार भी हो सकती है, अतः जब उसे ईमान की कमज़ोरी के कारण इसकी आवश्यकता होती है तो अल्लाह उसे करामत प्रदान करता है ताकि यह उसके ईमान को मज़बूत करे तथा उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। और जिस व्यक्ति की, अल्लाह की विलायत जितनी अधिक पूर्ण होती है, उतनी ही अधिक उसे इस करामत इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये सब चीज़ें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तुलना में ताबेईन के यहाँ अधिक पाई जाती हैं।

ख़ारिक़ -ए- आदत (अलौकिक) चीज़ें:

यह कहते हैं: (**सामान्य रूप से आम जन अपने जीवन में जो करते हैं उसके विपरीत करना, जैसे हवा में उड़ना अथवा पानी पर चलना,** अर्थात सामान्य स्वभाव से हटकर घटित होने वाली घटना), इसकी चार श्रेणियों में से हैं:

1- आयत:
यह नबियों के लिए होता है और इसे मोजज़ा नहीं कहा जायेगा, क्योंकि क़ुरआन में इसे आयत ही कहा गया है, क्योंकि मोजज़ा वह होता है जिसके करने से कुछ लोग आजिज़ (असमर्थ) हों तथा मोजज़ा नबियों के अतिरिक्त किसी और के लिए भी हो सकता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के पश्चात किसी के लिए आयत का दावा करना असंभव है।

2- करामत:
यह अल्लाह तआला के उन वलियों तथा मित्रों के लिए होता है जिन्होंने ईमान और तक़्वा (इंद्रियनिग्रह) को अपनाया, करामत के उदाहरणस्वरूप अस्हाब -ए- कह्फ़ (गुफा वाले) का वृत्तांत (किस्सा, कथा) मौजूद है।

3- मोजज़ा अथवा फित्ना:
यह शैतान के चेलों के लिए होता है, इस प्रकार के लोगों की दशा देख कर इसका अनुमान हम सरलता के साथ लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास न ईमान होता है और न तक़्वा, इसका उदाहरण वह है जो दज्जाल को प्राप्त होगा।

4- फजीहत (फजीता, अपयश):
हरेक वह व्यक्ति जो अल्लाह पर झूठ बाँधता है अल्लाह तआला परलोक के पूर्व इस लोक में ही उस की फजीहत कर देता है, इसका उदाहरण वह है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब (अत्यंत झूठा) के साथ पेश आया था कि उसने एक व्यक्ति की आँख में फूँक मारा तो वह अंधा हो गया।

ख़ारिक़ -ए- आदत चीज़ें (अलौकिक शक्तियों) के मामले में लोगों की स्थितियां:

[1] झुठलाने वाले:

ये लोग नबी के सिवा किसी अन्य के लिए इसके होने को नकारते हैं, यदा-कदा संक्षिप्त रूप से इस का विश्वास कर लेते हैं, बहुतेरे लोगों के विषय में जब इनके निकट उल्लेख किया जाता है तो वे इसे झुठलाते हैं क्योंकि वो लोग इनके निकट औलिया में से नहीं होते हैं।

[2] अतिश्योक्ति करने वाले:

ये लोग सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं वह अल्लाह का वली है।

[3] मध्यवर्ती:

ये लोग मानते हैं कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है अलौकिक शक्तियां करामत के तौर पर प्रदान करता है, किंतु हर अलौकिक शक्तियां करामत नहीं होती हैं, बल्कि कभी-कभी अलौकिक कार्य जादूगरों एवं धूर्तों के हाथों भी अंजाम पा सकते हैं।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह रहिमहुल्लाह की पुस्तक "अल-फ़ुर्क़ान बैन औलियाइर्रहमान व औलियाइश्शैतान" से उद्धृत, अल्लाह के वलियों एवं शैतान के चेलों के मध्य अंतर का सारांश:

अल्लाह के वली:	शैतान के चेले:
❁ क़ुरआन एवं ह़दीस़ का पालन करते हैं। ❁ ईमान तथा तक़्वा (धर्मपरायणता) की विशेषता से विशेषित होते हैं (लोग खनिज के समान हैं, और उनमें अंतर का आधार धर्मपरायणता है)। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करते हैं तथा आपकी शरीअत से बाहर नहीं निकलते। ❁ लोगों को प्रेरित करते हैं: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी करने हेतु, फ़रायज़ (अनिवार्य कृत्यों) को अदा करने तथा दुआ करने के लिए। ❁ वो यह आस्था रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वली से उत्तम हैं, तथा वे यह मानते हैं कि मुसलमानों की सर्वसहमति है इस बात पर कि वली मासूम नहीं होते। ❁ उनके करामात का कारण ईमान एवं तक़्वा है (जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा) के आधार पर।	❁ क़ुरआन एवं ह़दीस़ का विरोध करते हैं। ❁ कुफ़्र, अर्धमिता, ज्योतिष्य, जादूगरी, पागलपन एवं भेदों को जानने का दावा करने जैसे दुर्गुणों में लिप्त होते हैं। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों का उल्लंघन करते हैं तथा आपकी शरीअत से बाहर निकल जाते हैं। ❁ लोगों को अपना अनुसरण करने को प्रेरित करते हैं, और वे ख़ुद न तो फ़रायज़ अदा करते हैं न अल्लाह से दुआ करते हैं। ❁ वो यह आस्था रखते हैं कि "वली" "नबी" से उत्तम होता है, वली मासूम होता है, तथा उसे इज्माअ (सर्वसहमति) भंग करने का अधिकार है। ❁ उनके लिए मोअजज़ा, अथवा फ़ित्ना अथवा फ़ज़ीह़त होती है, कुफ़्फ़ार अथवा मुनाफ़िक़ीन में से किसी का वली बनना असंभ है, वे लोग काफ़िरों की प्रशंसा करते हैं।

अल्लाह के वली:	शैतान के चेले:
❁ अल्लाह की ख़ातिर उनसे प्रेम रखा जाना चाहिए तथा उनके प्रति वफादार रहना चाहिए। ❁ वो लोग अपने ऊपर निफ़ाक़ (पाखण्ड, अधर्मिता) का भय खाते रहते हैं तथा अपनी स्थिति से धोखा में नहीं पड़ते हैं। ❁ वे अपने आप को लोगों से अलग नहीं करते, और उन पर सुन्नत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ❁ उनके पास अतिश्योक्ति अथवा कोताही नहीं पाई जाती। ❁ वो बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूप से ईमान से विशेषित होते हैं। ❁ जो यह गुमान रखे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम केवल बाहरी चीज़ें जानते थे आंतरिक नहीं, वह काफ़िर है! ❁ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विलायत का कोई समकक्ष नहीं। ❁ वो क़ज़ा व क़दर (निर्णय एवं भाग्य) को केवल आपदा एवं कष्ट के समय तर्क बनाते हैं, पाप करने के लिए इसको तर्क नहीं बनाते हैं। ❁ निरंतर पाप ही करने में लिप्त नहीं रहते हैं, और यह बंदे से अल्लाह तआला के प्रेम का प्रतीक है। ❁ इबादत (उपासना) करने का स्थान उनके निकट मस्जिदें हैं। ❁ सर्वोच्च करामत (सम्मान) उनके निकट धर्म पर दृढ़ता के साथ जमे रहने में निहित है।	❁ अल्लाह की ख़ातिर उनसे घृणा की जानी चाहिए। ❁ वो लोग अपने ऊपर निफ़ाक़ का भय नहीं खाते हैं, तथा अपनी स्थिति से धोखा में पड़ जाते हैं। ❁ वे लोग अपने वस्त्र तथा सिर व दाढ़ी मुंडाने जैसे कृत्यों के द्वारा अपने आप को लोगों से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, और काफ़िरों की नक़ल करते हैं। ❁ उनके पास अतिश्योक्ति तथा कोताही पाई जाती है। ❁ वो लोग बाहरी एवं आंतरिक ईमान के मध्य अंतर करते हैं। ❁ उनके अनुयायी यह समझते हैं कि वे लोग अंतरात्मा का ज्ञान रखते हैं। ❁ उनके अनुयायी यह गुमान रखते हैं कि मूल धातु के आधार पर नबी तथा वली एक समान हैं। ❁ पापी लोग आज्ञापालन के समय भाग्य के इंकारी होते हैं तथा पाप करते समय अपने आप को इसके लिए विवश प्रकट करते हैं। ❁ वो लोग हुलूल (एक आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना) तथा वह़दतुल वुजूद (यह सिद्धान्त कि संसार में केवल एक ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही रूप है, ब्रह्मवाद, ईश्वर के साथ एकत्व) वाली आस्था रखते हैं। ❁ शैतान उनके पास रूप धार कर आता है, जिसे वो फ़रिश्ता समझ बैठते हैं। ❁ उनके अनुयायी उनके संबंध में यह आस्था रखते हैं कि वे नुबुव्वत की विशेषताओं एवं फ़रिश्तों के गुणों से विशेषित हैं। ❁ वे लोग क़ब्रों को पूजा स्थल बना लेते हैं। ❁ वे लोग वही करते हैं जो शैतानी स्थितियों को मजबूत करती हैं, जैसे: संगीत सुनना, सीटी तथा ताली बजाना।

छठा मूलाधार:

लेखक रहिमहुल्लाह कहते हैं:

उस संदेह का खंडन करना जो शैतान ने तैयार किया है, क़ुरआन एवं ह़दीस़ को छोड़ने और विभिन्न प्रकार के अलग-अलग विचारों एवं इच्छाओं का पालन करने के संबंध में, और वह यह है कि: क़ुरआन एवं ह़दीस़ को केवल मुज्तहिद -ए- मुतलक़ ही समझ सकता है, तथा मुज्तहिद वह है जो अमूक अमूक विशेषताओं से विशेषित हो, वो ऐसे-ऐसे गुणों से परिपूर्ण होने की शर्त लगाते हैं जो शायद पूर्णरूपेण अबू बक्र एवं उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा में भी नहीं पाए जाते हों!

फिर (इस संदेह के अनुसार) यदि किसी व्यक्ति में ये गुण और सिद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो उसे अंतिम कर्तव्य के रूप में क़ुरआन और सुन्नत से पूर्णतः दूरी अपनानी चाहिए, जिसमें कोई संदेह या भ्रम नहीं है, तथा जो कोई इन दोनों (क़ुरआन व ह़दीस़) से मार्गदर्शन पाने का प्रयास करता है (आम लोगों में से) वह या तो विधर्मी है अथवा पागल, क्योंकि आम जन के लिए इन दोनों का समझना कठिन है!! अल्लाह पवित्र है, उसकी स्तुति हो, कि जिसने दिन के प्रकाश के समान और सामान्य आवश्यक वस्तुओं की तरह स्पष्ट, विभिन्न तरीकों से, शरई एवं क़दरी और तख़लीक़ी एवं हुक्मी (वैधानिक, पूर्वनियति, रचनात्मक एवं आदेशात्मक), सभी पहलूओं से, इस निंदनीय संदेह का स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٧﴾ (परंतु अधिकांश लोग इस (तथ्य) को नहीं जानते)। सूरह आराफ़: 187। ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٨ وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١١﴾ (सिद्ध हो चुका है वचन उनमें से अधिकतर लोगों पर, अतः वो ईमान नहीं लायेंगे। तथा हमने डाल दिये हैं त़ौक़ उन के गलों में जो हड्डियों तक हैं, इसलिए वह सिर ऊपर किये हुए हैं। तथा हमने बना दिया है उनके आगे एक आड़ तथा उनके पीछे एक आड़, फिर ढाँक दिया उनको तो वह देख नहीं रहे हैं। तथा समान है उन पर कि आप उन्हें सावधान करें अथवा सावधान न करें, वो ईमान नहीं लायेंगे। आप तो बस उसे सचेत कर सकेंगे जो माने इस शिक्षा (क़ुरआन) को तथा डरे अत्यंत कृपाशील से बिन देखे, तो आप शुभ सूचना सुना दें उसे क्षमा की तथा सम्मानित प्रतिफल की)। सूरह यासीन: 7-11।

इज्तिहाद कहते हैं:

[1] शाब्दिक रूप से:	[2] पारिभाषिक रूप से:
किसी कठिन बात को समझने का प्रयास व परिश्रम करना।	शरई हुक्म (धार्मिक आदेश) को समझने के लिए प्रयास व परिश्रम करना।

इज्तेहाद के लिए शर्तें:

[1] शरई प्रमाणों में से इज्तिहाद के लिए उसे जिन दलीलों की ज़रूरत पड़ेगी उनका ज्ञान होना, जैसेः अहकाम से संबंधित आयतें एवं हदीसें।	[2] हदीस़ को स़हीह़ तथा ज़ईफ़ करार देने वाली विद्या का ज्ञान होना, जैसेः इस्नाद (श्रृंखला), हदीस़ के रिजाल (वाचक) इत्यादि की जानकारी का होना।	[3] नासिख़ व मसूख़, तथा जिन मुद्दों पर इज्माअ है उनका ज्ञान होना, ताकि किसी मंसूख़ (शरई आदेश) के आधार पर अथवा इज्माअ के विरुद्ध कोई निर्णय न सुना दे।	[4] उन दलीलों का ज्ञान होना जिनके कारण हुक्म में अंतर आ जाता है, जैसे ख़ास़ व आम, अथवा मुतलक़ व मुक़य्यद होना इत्यादि, ताकि कोई ऐसा निर्णय न करे जो उसके विरुद्ध हो।	[5] भाषा और उस़ूल -ए- फ़िक़्ह (न्यायशास्त्र के सिद्धांतों) का इतना ज्ञान अवश्य होना जिनका संबंध शब्दों के अर्थों से है, जैसेः आम व ख़ास़, ताकि वह शब्दार्थों के तक़ाज़े के अनुसार निर्णय ले सके।	[6] उनके पास साक्ष्य (दलीलों) से निर्णय तक पहुँचने की क्षमता का होना।

क्या इज्तिहाद को भागों में बाँटा जा सकता है?

हां, इज्तिहाद को भागों में बाँटा जा सकता है, अतः यह विद्या के अध्यायों में से किसी विशेष अध्याय में हो सकता है, अथवा विद्या के मसलों में से किसी विशेष मसला में हो सकता है।

मुज्तहिद के लिए कड़ी मेहनत करना एवं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना अनिवार्य है, तत्पश्चात:

[1] यदि उसके समक्ष हुक्म स्पष्ट हो जाये तो उसके द्वारा निर्णय करे, और ऐसा करने में यदि वहः

[क] सही होः तो उसको दो अज्र (पुण्य) मिलेगाः एक अज्र उसके इज्तिहाद का मिलेगा, तथा दूसरा अज्र सही राय तक पहुँचने का मिलेगा, क्योंकि सत्य तक पहुँचना वास्तव में उसको प्रकट करना एवं उस पर अमल करना है।

[ख] गलती कर जाएः तो उसको एक अज्र मिलेगा तथा उसकी वह गलती माफ हो जायेगी।

[2] तथा यदि उसके समक्ष हुक्म स्पष्ट न हो तोः वहीं रुक जाना उस पर अनिवार्य है, और आवश्यकतानुसार उस समय उसके लिए तक़लीद करना जाय़ज़ है।

दो स्थितियों में तक़लीद करने की अनुमति है:

[1] तक़लीद करने वाला आम आदमी हो जो स्वयं किसी धार्मिक आदेश तक पहुँचने में अक्षम हो, ऐसी स्थिति में उनके लिए तक़लीद करना अनिवार्य है, अल्लाह तआला के इस कथन के आधार पर: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾﴾ (तुम ज्ञानियों से पूछ लो यदि स्वयं नहीं जानते) सूरह नह्ल: 43।

[2] मुज्तहिद के सामने अचानक कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका निवारण उसे अतिशीघ्र ही करना हो तथा उस मसले में सोच-विचार करने का समय उसके पास न हो तो ऐसी स्थिति में उसके लिए तक़लीद करना जायज़ है।

तक़लीद के दो प्रकार हैं:

[1] आम (साधारण):
वह यह है किसी विशेष मज़हब (मत) का पालन करे, अतः सभी धार्मकि मामलों में उसकी अज़ीमत (कठोरता) एवं रुख़्सत (सरलता) समेत उसका अनुसरण करना। इसके विषय में उलमा के मध्य मतभेद है, कुछ लोगों ने इस प्रकार की तक़लीद को ह़राम कहा है क्योंकि इसमें पूर्णतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण छोड़ कर किसी अन्य का अनुसरण करना है।

[2] ख़ास़ (विशेष):
किसी विशिष्ट मामले में कोई एक विशिष्ट कथन के अनुसार अमल कर लेना, सत्य को जानने में असमर्थ होने के समय यह अनुमेय है, चाहे:

[क] वास्त में वह ऐसा करने में अक्षम हो।

[ख] अथवा वह बड़ी कठिनाई से ऐसा करने में सक्षम हो।

लेखक रह़िमहुल्लाह कहते हैं:

अंत में, समस्त संसार के पालनहार के लिए सभी प्रकार की प्रशंसाएं हैं, तथा क़यामत तक अल्लाह की ओर से प्रशंसा एवं शांति अवतरित हो हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तथा आपके परिवार वालों एवं स़हाबा -ए: किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर।

हम सर्वशक्तिमान अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि लेखक को उत्तम पुरस्कार से पुरस्कृत करे, और हमें तथा उन्हें अल्लाह के द्वारा तैयार सम्माननीय निवास में इकट्ठा करे, वह (अल्लाह) बड़ा उदार एवं सम्मान वाला है, समस्त प्रकार की प्रशंसा सारे संसार के पालनहार अल्लाह के लिए है, अल्लाह की ओर से प्रशंसा एवं शांति अवतरित हो हमारे नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर।

परीक्षा:

[1] निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

हम छः मूलाधार का पाठ क्यों करें?	[1] ..... [2] .....
छः मूलाधार एवं उनके विपरीत चीज़ों का वर्णन करें:	[1] .....
	[2] .....
	[3] .....
	[4] .....
	[5] .....
	[6] .....
अल्लाह के वलियों एवं शैतान के चेलों के मध्य पाँच अंतर लिखें:	[1] ..... [2] ..... [3] ..... [4] ..... [5] .....

[2] सही उत्तर चुनें:

अल-उसूल अल-सित्तह (छः मूलाधार): ☐ इस पर मुसलमानों की सर्वसहमति है ☐ इसमें मतभेद है।
क़ुरआन एवं ह़दीस़ के नुसूस़ (छंदों) में संख्या का उल्लेखः ☐ इसका विशेष अर्था होता है ☐ इसका कोई अर्थ नहीं होता ☐ इसमें विस्तार है।
दलालत एवं इफ़्हाम (अर्थ एवं समझ) के तत्व हैं: तीन ☐ चार ☐ पाँच ☐

[3] "सत्य" अथवा "असत्य" के द्वारा उत्तर दें:

प्रश्न	सत्य	असत्य
कभी संख्या का उल्लेख किया जाता है किंतु उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, जैसेः जन्नत के अबवाब (स्वर्ग के द्वार)	☐	☐
कभी संख्या का उल्लेख किया जाता है तथा उसका कोई विशेष अर्थ होता है, जैसेः अश्रह मुबश्शरह बिलजन्नह (वो दस लोग जिन्हें संसार में ही स्वर्ग की सूचना दी गई थी)।	☐	☐
सभा में संख्या का उल्लेख मसलों को अच्छे अंदाज में समझने एवं कंठस्थ करने को दर्शाता है।	☐	☐
कितना उत्तम कार्य किया है लेखक महोदय ने कि वह मसलों को संख्या निर्धारन के साथ उल्लेख करते हैं।	☐	☐

[4] निम्न में उस संख्या पर गोला लगाएँ जिसका एक विशेष अर्थ है (अर्थात: एक निर्धारित अर्थ जिसमें वृद्धि नहीं की जा सकती):

"पाँच चीज़ें फ़ितरत में से हैं"	तीन मूलाधार	सात विनाशकारी चीज़ें	ईमान के अरकान (स्तंभ)
फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अज़कार पढ़ना	"लोगों में दो आदतें ऐसी हैं जो कुफ्र वाली हैं"	"मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फ़िर्कों में बंट जायेगी"	कुत्ता जब बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे सात बार धोना

[5] निम्न में शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रहिमहुल्लाह की पुस्तकों में से उस अनिश्चित संख्या को छोड़ कर जिसमें वृद्धि की जा सकती है उस निश्चित संख्या को दर्शाएं जिसमें वृद्धि नहीं की जा सकती:

अल-उसूल अल-सित्तह (छः मूलाधार)	इस्लाम से निष्कासित करने वाली दस चीज़ें	चार क़ायदे (चार नियम)	अल-उसूल अल-सलासह (तीन मूलाधार)
.....	.....	.....	.....